राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2016 जयपुर, दिनांक : 27/7/2016

संशोधित अधिसूचना

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.1(3)कृषि–1/एम0सी0/2016 जयपुर, दिनांक : 23.7.2016 द्वारा जारी खरीफ 2016 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

(1) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–3 (ख) का उप बिन्दु सख्या (घ) ऋणी एवं गैरऋणी दोनों प्रकार के कृषकों के लिए अनिवार्य होगा।

(2) जारी की गई अधिसूचना में दर्शाये आधार क्रमांक के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि फसल बीमा करवाने वाले सभी ऋणी एवं गैरऋणी कृषकों के लिए आधार क्रमांक अनिवार्य होगा।

(3) जारी की गई अधिसूचना में भामाशाह क्रमांक संबंधित कृषक का लिया जाना दर्शाया गया है। जिसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों द्वारा कृषकों का फसल बीमा करते समय उन्हें प्राप्त होने वाले भामाशाह क्रमांक का परिशिष्ट–5 में इन्द्राज कर बीमा कम्पनियों को भिजवायेंगे। जिन बीमित कृषकों के भामाशाह कार्ड सूची में उपलब्ध नही होंगे, उनकी भामाशाह क्रमांक की सूचना संबंधित बीमा कम्पनी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर से प्राप्त कर उसके अनुसार डेटा का मिलानकर सूचना का सत्यापन करेगी।

(4) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–10 बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सभी संबंधित सहकारी बैंक/ वाणिज्यिक बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसलवार अधिसूचित क्षेत्रवार बीमा प्रस्ताव एवं घोषणा–पत्र की दो प्रतियां तैयार कर **एक प्रति बीमा कम्पनी** को तथा **एक प्रति कृषि विभाग** को भिजवायेगें।

(5) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–11 फसलों की क्षति का आंकलन/निर्धारण/भुगतान की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाईयां के संबध में पूर्ण जानकारी हेतु एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के दूरभाष नम्बर 0141–4042999 व मोबाईल नम्बर 9166356577, 8233966845 rojaipur@aicofindia.com व यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के दूरभाष नम्बर 0141–2743648/0141–5101271 व मोबाईल नम्बर–09823805621 व 9829855166 dsbhati@uiic.co.in/ ncjain@uiicco.in पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।

(6) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–13 अधिसूचित मौसम केन्द्रों का विवरण में तहसीलवार व गिरदावर सर्किलवार दर्शाये सन्दर्भ मौसम केन्द्र एवं बैकअप मौसम केन्द्रों की सूची परिशिष्ट–4 में खरीफ 2016 का मौसम प्रारम्भ होने को दृष्टिगत रखते हुए इनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावें।

(7) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–15 क्रियान्वयन बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारकों [Loss Accessor] की नियुक्ति में अंकित बिन्दु संख्या–16 के स्थान पर बिन्दु संख्या–11ख(2) पढ़ा जाये।

(8) जारी की गई अधिसूचना के बिन्दु संख्या–24 में स्पष्ट किया जाता है कि सभी बैंकों द्वारा परिशिष्ठ–5 की पूर्ण सूचना की पूर्ति कर संबंधित बीमा कम्पनी को घोषणा–पत्र के साथ भिजवायेंगे। बीमा कम्पनी उपरोक्त परिशिष्टानुसार बीमा क्लेम की राशि सीधा कृषकों के खाते में हस्तानान्तरित करेगी। यदि परिशिष्ठ–5 में दर्शाई गई सूचना में कोई त्रुटि पाई जाती है और यदि बीमा क्लेम राशि गलत खाते में हस्तानान्तरित हो जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।

(9) जारी की गई अधिसूचना के परिशिष्ठ–5 को संशोधित किया जाकर पुनः संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

(10) राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषकों, बैंको, अधिकृत बीमा कम्पनियों, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर, के कर्तव्य एवं दायित्व परिशिष्ट–6 पर संलग्न कर भिजवाये जा रहा हैं।

(11) जारी की गई अधिससूचना के परिशिष्ट–3 के पृष्ठ संख्या 68 पर अरण्डी फसल टर्मशीट में अंकित जिला बाड़मेर के स्थान पर जैसलमेर पढ़ा जाये।

जारी की गई अधिसूचना के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

27/7/16

(एस.पी.सिंह)
उप शासन सचिव, कृषि

क्रमांक : प.1(3)कृषि–1 / एम0सी0 / 2016 /

दिनांक : 27/7/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
11. संयुक्त सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली ।
12. पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकार भवन, राजस्थान, जयपुर ।
13. निदेशक, कृषि, कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर ।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त – – – – – – – –
15. समस्त जिला कलक्टर – – – – – – – – – –
16. निदेशक, उद्यान विभाग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
17. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सांगानेर, जयपुर ।
18. उप सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, पन्त कृषि भवन, जयपुर ।
19. महाप्रबन्धक, नाबार्ड, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर ।
20. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय को भेजकर लेख है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
21. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ————————
22. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक कृषि ————————
23. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद ————————
24. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, बडौदा भवन, प्लाट न. 13, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, दुर्गापुरा, जयपुर।
25. महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, रामबाग सर्किल, जयपुर ।
26. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, टोक रोड, जयपुर ।
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, अम्बाद्वीप बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट पैलेस, दिल्ली ।
28. मुख्य प्रबंधक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, 98–सांधी उपासना टॉवर, अहिंसा सर्किल के पास, सी–स्कीम, जयपुर।
29. उप महाप्रबंधक यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेंस कम्पनी लि. क्षेत्रीय कार्यालय सहारा चैम्बर्स टोंक रोड जयपुर–15
30. प्रबन्धक, स्काईमेट वैदर सर्विस प्रा.लि. 606, 6वां तल, काप्स आर्केड टावर, प्लान नम्बर–के–12,मालविया मार्ग सी–स्कीम, जयपुर
31. प्रबन्धक, एनसीएमएल, 351, द्वितीय तल नेमासागर कालोनी, आर फर्नीचर हाउस, वैशाली नगर।
32. प्रबन्धक, इन्जन टेक्नों. प्रा. लि., जीसी–17, नीलगिरी काम्पलेक्स, आवास विकास–।, कल्याणपुर, कानपुर, उत्तरप्रदेश–208017

27/7/16

(एस.पी.सिंह)
उप शासन सचिव, कृषि

संशोधित परिशिष्ट 5

कृषक सूची

मौसम खरीफ

वर्ष 2016

बैंक का नाम

ब्रांच का नाम

जिला:

क सं.	कृषक का नाम	पिता का नाम	श्रेणी (एस.टी. / एस.सी. / अन्य)	(पु / स्त्री)	कृषक का मोबाईल नम्बर	आधार कमांक	भामाशाह कमांक	कृषक बैंक खाता संख्या	IFSC Code	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	पटवार सर्किल	गिरदावर सर्किल (आई. एल. आर.)	तहसील	बीमित फसल	बीमित क्षेत्रफल (है.)	प्रीमियम दर (रू / है.)	कृषक प्रीमियम राशि (रू. / है.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

नोट :– (1)कालॅम 9 में ऋणी कृषक के लिए के.सी.सी. खाता संख्या एवं गैर ऋणी कृषक हेतु बचत खाता संख्या दर्शाना अनिवार्य है।

(2)कालॅम 13 में दिए गए रकबा हैक्टेयर से मतलब है कृषक के हिस्से की भूमि (हैक्टेयर) जिस पर ऋण दिया गया है।

1. कृषक का दायित्व
   a. फसलों का बीमा कैसे कराया जाये–
      - ऋणी कृषक
        प्रक्रिया – जिन कृषको ने अपनी अधिसूचित फसल हेतु 31 जुलाई 2016 तक फसली ऋण बैंक से स्वीकृत करा कर आहरित किया हो उन्हें अधिसूचित फसल का बीमा सम्बन्धित बैंक के माध्यम से आवश्यक रूप से करना होगा।
      - गैर ऋणी कृषक
        प्रक्रिया – जिन कृषको ने कृषि ऋण स्वीकृत नहीं करवाया हो, उन्हें प्रस्ताव पत्र भरकर नजदीकी बैंक शाखा/अधिसूचित बीमा कम्पनी के एजेण्ट के माध्यम से सम्बन्धित बीमा कम्पनी में निर्धारित दर से फसल बीमा हेतु प्रीमियम राशि जमा करवानी होगी। सम्बन्धित कृषक का बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।
      - ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को फसल बीमा हेतु आधार नम्बर बैंक को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

   b. कृषक फसलों में हुए नुकसान की जानकारी कैसे दे–
      - बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर फोन के माध्यम से नुकसान के 48 घण्टे के भीतर तथा लिखित रुप से नुकसान के 7 दिवस के भीतर से बीमा कम्पनी के कार्यालय में।
      - कृषि विभाग के नजदीकी कार्यालय में फोन से या लिखित रुप से।
      - जिला प्रशासन के कार्यालय में फोन से या लिखित रुप से।

   c. बीमा क्लेम कैसे प्राप्त करे –
      - व्यक्तिगत आधार पर
        1. स्थानीय आपदा कि स्थिति में – ओलावृष्टि, भूस्लखन व जलप्लावन से फसल नष्ट होने की स्थिति में कृषक के द्वारा नुकसान के बारे में सम्बन्धित बैंक/बीमा कम्पनी/ कृषि विभाग/जिला प्रशासन को सूचित करना होगा तथा कृषि विभाग, राजस्व, बीमा कम्पनी एवं बैंक के प्रतिनिधि की गठित की गई समिति द्वारा आंकलन करके नुकसान की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
        2. फसल कटाई के उपरान्त – फसल कटाई के 14 दिन के भीतर खेत में सूखाने हेतु रखी गई फसल को चक्रवात तथा चक्रवाती वर्षा से होने वाले नुकसान की सूचना देने के बाद नुकसान का आंकलन कृषि विभाग, राजस्व, बीमा कम्पनी एवं बैंक के प्रतिनिधि की गठित की गई समिति द्वारा आंकलन करके नुकसान की गणना कर भुगतान किया जायेगा।
        3. क्षैत्रीय आधार पर – मौसम के अंत में राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा उपलब्ध कराये गये फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज के आंकडों के

अनुसार वास्तविक उपज की थ्रेशोल्ड उपज से तुलना कर चालू वर्ष की वास्तिविक उपज में कमी के आधार पर नुकसान का आंकलन निर्धारित गणना रीति के अनुसार कर बीमा क्लेम का भुगतान किया जायेगा।

2. बैंकर्स का दायित्व
   a. कॉमर्शियल एवं ग्रामीण बैंक की फसली ऋण वितरण करने वाली सभी शाखायें योजना के तहत बीमा आवरण के पात्र कृषि ऋणों को आवरित करने हेतु घोषणा पत्र एवं कृषक के द्वारा देय प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी राशि को प्रेषित करेगें।
   b. जिला सहकारी बैंक के साथ संलग्न सहकारी समितियां कृषकों को फसली ऋण स्वीकृत एवं वितरित कर जिला सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखा को घोषणा पत्र एवं प्रीमीयम राशि प्रेषित करेंगे। जिला सरकारी बैंक की शाखाएं सहाकारी समितियों से मिली सूचना को संकलित कर के घोषणा पत्र एवं प्रीमियम राशि जिला सहकारी बैंक की नोडल कार्यालय को प्रेषित करेगें। नोडल कार्यालय सभी शाखा से प्राप्त सूचनाएं एवं प्रीमियम राशि बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करेगी।
   c. उपरोक्त दर्शाए गये फसली ऋण हेतु बैंक नाबार्ड / रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशो के अनुसार 1 अप्रेल,2016 से 31 जुलाई 2016 तक स्वीकृत एवं वितरित किये गये फसली ऋण अनिवार्य रूप से फसल बीमा के तहत अधिसूचना में निर्धारित अवधि तक कृषकों के ऋण खाते से प्रीमियम राशि काटकर बीमा कम्पनी को घोषणा पत्रो के साथ प्रीमियम राशि का डी.डी. प्रेषित करेगे।
   d. घोषणा पत्र एवं प्रीमियम प्रेषित करने के बांद बीमित कृषकों की निर्धारित प्रपत्र–5 में सूचना बीमा कम्पनी को प्रेषित करेगे।

3. जिला प्रशासन दायित्व
   a. 16 अगस्त 2016 तक समस्त जिले की खरीफ फसलो की बुवाई की सूचना राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाना।
   b. 1 दिसम्बर 2016 तक जिले की अधिसूचित खरीफ फसलो की उपज के आंकडे राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाना।
   c. जिला स्तर पर DLMC (जिला स्तरीय निगरानी कमेटी) का गठन करना तथा समय–समय पर बैठक बुलाकर फसल बीमा की प्रगति का आंकलन करना।
   d. तहसील स्तर पर मोनिटिरिंग कमेटी का गठन कर समय–समय पर बैठको का आयोजन करना।

4. बीमा कम्पनी के दायित्व
   a. सम्बन्धित बीमा कम्पनी को प्रत्येक बैंक शाखा को फसल बीमा के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रेषित करना एवं उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा।
   b. प्रत्येक जिला स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूर्ण जानकारी हेतु बैंकर्स की कार्यशाला आयोजित करनी होगी।
   c. प्रत्येक जिला स्तर पर योजना का पूर्ण प्रचार प्रसार करना होगा।
   d. बैंको से प्राप्त घोषणा पत्र, प्रीमियम राशि, कृषकों की सूची इत्यादि की पूर्ण जांच करनी होगी।

e. मौसम के अनुसार बीमित फसलो के लिए .बीमा कम्पनी के द्वारा भुगतान किये गये दावों का सम्बन्धित कृषक के खाते में समायोजन करना।

f. बीमा कम्पनियों को जिले में स्थित उनके प्रतिनिधियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर इत्यादि कृषि विभाग एवं बैंको को उपलब्ध करवाने होंगे।